18.2.19

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी, फलौदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सूचित किये बिना ही पत्रावली केम्प कोर्ट मे रख कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। पक्षकारा बनाये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि प्रार्थी खसरा संख्या 80 ग्राम ढूढंली के सहखातेदार है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 549/2016 मे पारित अपीलाधीन दिनांक 31.5.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिससे पाया गया कि प्रथम दृष्टिया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक मे प्रतीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 549/2016 मे पारित अपीलाधीन दिनांक 31.5.2018 की पालना व प्रभाव को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। उक्त अनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर , निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर